उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–11
संख्या–195/एक–11–2020–रा0–11
लखनऊ : दिनांक : 24 मार्च, 2020

अधिसूचना

भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा–2 की उप धारा (डी) में डिजास्टर की निम्नवत् परिभाषा दी गयी है:–

धारा–2(d). "disaster" means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area.

2– उ0प्र0 आपदा प्रबंध अधिनियम–2005 की धारा–2 की उप धारा (जी) में भी डिजास्टर को लगभग पूर्ववत् ही परिभाषित किया गया है।

3– भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा–2 की उप धारा (डी) तथा उ0प्र0 आपदा प्रबंध अधिनियम–2005 की धारा–2 की उप धारा (जी) में किये गये प्रावधान के क्रम में COVID-19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा–50 में आपदा के प्रबंधन के लिए आपात सामग्री के क्रय के संबंध में शिथिलता हेतु निम्नवत् प्राविधान किये गये है:–

"धारा–50. Where by reason of any threatening disaster situation or disaster, the National Authority or the State Authority or the District Authority is satisfied that immediate procurement of provisions or materials or the immediate application of resources are necessary for rescue or relief,—

(a) it may authorise the concerned department or authority to make the emergency procurement and in such case, the standard procedure requiring inviting of tenders shall be deemed to be waived;

(b) a certificate about utilisation of provisions or materials by the controlling officer authorised by the National Authority, State Authority or District Authority, as the case may be, shall be deemed to be a valid document or voucher for the purpose of accounting of emergency, procurement of such provisions or materials."

5. प्रस्तर–3 में किये गये प्राविधान के दृष्टिगत प्रस्तर–4 में उल्लिखित भारत सरकार के अधिनियम की धारा–50 तथा प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या– 1647/1–11–2008–102(जी)–06 दिनांक 21 अप्रैल, 2008 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में आपात सामग्री के क्रय के संबंध में शिथिलता वर्तमान में मात्र **01 माह के लिये** उन्हीं वस्तुओं के क्रय हेतु प्रदान की जाती है जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के नार्म्स में कोरोना वायरस के उपचार और रोकथाम के लिये आवश्यक हों। आवश्कता होने पर सक्षम अनुमोदनोपरांत उक्त अवधि को बढ़ाया जा सकता है। जिलाधिकारी तथा अन्य विभाग को यदि स्थानीय स्तर पर इन मेडिकल इक्युपमेंट तथा मेडिकल कन्ज्यूमेबल्स को खरीदना आवश्यक हो तो इन्हें खरीदने हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार ही क्रय किया जायेगा।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या व दिनॉक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन।
10. राजस्व अनुभाग–10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।

Scanned by CamScanner